न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12 / 23 / 2024

प्रवेश तिथि 01.08.2024

कम्प्यूटर आई.डी. सं. 2024 / 58

अपीलार्थी

श्री मनोज कुमार खण्डेलवाल,
निवासी—36, विकास पथ, अलवर—301001

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी रामगढ (राज.)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 09.10.2024

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र दिनांकः 14.06.2024 के माध्यम से प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर, आ.ख.नं. 731 वाके ग्राम—बगडमेव, तह0 रामगढ स्थित भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में श्रीमती अल्का खण्डेलवाल एवं श्रीमती पूनम खण्डेलवाल द्वारा पूर्व प्रस्तुत शिकायत—पत्र दिनांकः 13.03.24 के परिप्रेक्ष्य में विविध 02 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया।
4. प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की सूचना / विनिश्चय से अपीलार्थी को सूचित नहीं किए जाने के कारण प्रा0पत्र दिनांकः 22.07.2024 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः न्याय / 2024 / 663 दिनांकः 02.09.24 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा प्रेषित जवाब नोटिस का परीक्षण किया।
8. अपील व सूचना आवेदन में वर्णित तथ्यों का परीक्षण करने पर जाहिर हुआ कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 14.06.2024 के परिप्रेक्ष्य में, पत्रांकः आरटीआई / 2024 / 624 दिनांकः 12.08.24 के माध्यम से आवेदन के बिन्दु सं.1 के परिप्रेक्ष्य में सूचना उनके कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर, प्राप्त किए जाने बाबत सूचित किया गया है जो कि अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में आवेदन का विनिश्चय नहीं किया जाकर काफी विलम्ब से सूचित किया है, साथ ही बिन्दु सं.2 में वांछित सूचना के संबंध में सूचना आवेदन जरिये पत्र सं. आरटीआई / 2024 / 625 दिनांकः 12.08.24 के माध्यम से आंशिक रूप में तहसीलदार रामगढ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु अन्तरित किया है, उक्त अन्तरण काफी **विलम्ब से किया गया है।**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) अन्तर्गत यह प्रावधान है कि "इस अधिनियम के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु **किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पॉच दिनों के पश्चात् नही किया जाएगा।**"

10. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में किया गया विनिश्चय, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। विहित समयावधि में सूचना–आवेदन का निस्तारण नहीं किए जाने से अपीलार्थी निःशुल्क सूचना प्राप्त करने का हकदार है।

11. अस्तु **प्रथम अपील स्वीकार** की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी के **प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 14.06.2024** में **वांछित बिन्दुवार सूचना, अन्तरित कार्यालय/तहसीलदार रामगढ से भी प्राप्त कर निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे।**

12. आज दिनांकः 09.10.2024 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)